सुभाषित

निराकार, सर्वव्यापक परमेश्वर सब जगतको बसाये हुए है। वेद मंत्रोंसे यज्ञ आदिमें जब इनकी पूजा करते हैं तो यह इस चराचर जगतको ही मिलता है। ❐ ***महाभारत***

हूतियोंके हमले

सऊदी अरबमें बढ़ते हूती हमले न केवल गम्भीर चिन्ताका विषय हैं, अपितु यह यमन-सऊदी संघर्षसे कहीं बड़ी अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा समस्याका संकेत है। जब मिसाइल और ड्रोन हमले हवाई अड्डों, तेल प्रतिष्ठानों और वाणिज्यिक जहाजोंतक पहुंच जाय और उनमें भारतीय नागरिकोंकी मौतें होने लगे तो भारतके लिए यह केवल पश्चिम एशियाकी दूरकी समस्या नहीं रह जाती है। सऊदी अरबके दम्माम हवाई अड्डेपर बुधवारको देर रात हुए हूतियोंके हमलेमें भारतीय नागरिक सहित दो लोगोंकी मृत्यु हो गयी और आठ अन्य घायल हो गये। घायलोंमें दो भारतीय भी शामिल हैं। यमनमें हूती विद्रोही सऊदीके बुनियादी ढांचोंपर लगातार हमले कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि लाल सागर और बाब-अल-मंदेबका संकट ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और भारतीय नाविकोंकी सुरक्षाको एक साथ प्रभावित कर सकता है। सऊदी अरब और यमनके बीच बढ़ता हूती संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय सैन्य टकराव नहीं रह गया है। इसके प्रभाव लाल सागर, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, खाली क्षेत्र और अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजरानीतक पहुंच चुके हैं। हूती विद्रोही लम्बे समयसे सऊदी अरबके साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन २०२६ में स्थितिने खतरनाक रूप ले लिया है। हूतियोंने जुलाईमें सऊदी-सम्बद्ध जहाजरानीके विरुद्ध लाल सागरमें नाकेबाजीकी घोषणा की थी। इसके बाद यमनके पश्चिमी तट और बाब-अल-मंदेबपर उनकी गतिविधियां बढ़ीं। भारतीयोंके लिए यह विशेष रूपसे गम्भीर संकट है, क्योंकि भारतीय समुद्री कर्मियोंकी संख्या बहुत अधिक है। अगस्तमें भारतीय ध्वज वाले जहाजोंपर हमला हुआ और जहाज लाल सागरमें डूब गया। जहाजपर १३ भारतीय सहित १४ नाविक सवार थे और सभीको बचा लिया गया। सितम्बर-अक्तूबरकी घटनाओंने खतरेको और व्यापक कर दिया। भारतीयोंके लिए खतरा अब समुद्रतक सीमित नहीं है, बल्कि खाड़ी देशोंमें रहने और काम करने वाले लाखों भारतीयोंकी सुरक्षासे भी यह जुड़ गया है। इस संकटका भारतपर आर्थिक प्रभाव पड़ा है। तेलकी कीमतें बढ़ी हैं। आयात लागतमें वृद्धि हुई है। आयात-निर्यात व्यापारपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय नाविकोंकी सुरक्षा खतरेमें पड़ गयी है। अब सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या समुद्री क्षेत्र वास्तवमें असुरक्षित हो गया है? इन स्थितियोंको देखते हुए भारतीय नाविकोंकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। भारतको किसी सैन्य गुटमें शामिल हुए बिना सक्रिय कूटनीति, समुद्री निगरानी और क्षेत्रीय संवादको प्राथमिकता देनी होगी।

क्रूरतापर सहानुभूति नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालयका चाकू और बन्दूकसे किये गये हमलेमें दोषी ठहराये गये दो आरोपियोंको 'अच्छे आचरण' के आधारपर रिहा करनेका फैसला हैरान करने वाला है। सर्वोच्च न्यायालयने इस फैसलेपर नाराजगी व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालयको कड़ी फटकार लगायी है और फैसलेको खारिज करते हुए दोनों दोषियोंका दो सप्ताहके भीतर आत्मसमर्पण करनेका निर्देश दिया। साथ ही चेतवानी भी दी कि ऐसा न करनेपर बहराइचका अतिरिक्त सत्र न्यायालय तत्काल उन्हें गिरफ्तार करनेकी काररवाई शुरू करेगा। यह मामला उत्तर प्रदेशके बहराइचमें २००३ के एक व्यापारिक रंजिशसे जुड़ा है, जहां पीड़ितने इन दोनों अभियुक्तोंकी दुकानके पास अपनी दुकान खोली थी। घटनाके दिन एक आरोपीने धारदार हथियार और दूसरेने बन्दूकसे पीड़ितपर बेरहमीसे हमला कर दिया था जिससे वह बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश हो गया। लेकिन ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयने इस मामलेको बहुत हल्केमें लिया, जबकि प्रथम दृष्ट्या यह हत्याका प्रयास लगता है, क्योंकि हमला घातक हथियारोंसे किया गया था। इस मामलेमें न्यायमूर्ति जे.बी. पार्डीवाला और न्यायमूर्ति विनोद चन्द्रनकी पीठका यह कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि 'क्रूरतापर गलत सहानुभूति' बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। यह अजीब विडम्बना है कि उच्च न्यायालयने अपराधकी क्रूरताकी अनदेखी कर दी और गलत सहानुभूतिके चलते दोनोंको रिहा करनेका फैसला सुनाया। हैरानी इस बातपर है कि हाईकोर्टने माना कि दोनों आरोपी २२ सालसे भुगत रहे हैं जबकि हकीकत यह है ये दोनों एक दिन भी जेलकी सजा नहीं काटे और जमानतपर बाहर रहकर लगातार अपराधमें सक्रिय रहे, जो न्याय-व्यवस्थापर गम्भीर सवाल खड़ा करता है। अपराधीको रिहा किया जाय या नहीं, इसके लिए अपराधकी प्रकृति और अपराधीका चरित्र मुख्य पैमाना होना चाहिए। शीर्ष कोर्टका फैसला अधीनस्थ न्यायालयोंके लिए नसीहत है, जिसपर गम्भीरतासे विचार किया जाना चाहिए।

लोक संवाद

ट्रम्पका दोहरा मापदंड

महोदय,-अमेरिकाके राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प द्वारा कांग्रेसके एक कानूनके तहत रूसी आयातपर लगाया गया प्रतिबंध हटानेका निर्णय भारतके लिए राहतकी बात है। यह तेल आयात नीति और उस बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौतेको अंतिम रूप देनेके लिहाजसे महत्वपूर्ण है जो मुख्य रूपसे इसी मुद्दे और सेक्शन ३०१ के तहत जांचके कारण रुका हुआ है। लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्यमें ६० दिनोंकी यह छूट ट्रम्प सरकारके दोहरे मापदंडको दर्शाती है, रूसके खिलाफ युद्धमें सहयोगी यूक्रेनको अमेरिकी समर्थनको लेकर रणनीतिक अनिश्चितताको बढ़ाती है और आम तौरपर एक सहयोगीके रूपमें अमेरिकाकी विश्वसनीयतापर वैश्विक संदेह पैदा करती है। लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया ऐंड ईरान ऐक्ट, २०२६ में राष्ट्रपतिको भारत और चीन जैसे प्रमुख रूसी तेल खरीदारोंपर सौ फीसदी शुल्क लगानेका अधिकार दिया गया, ताकि रूस इन देशोंसे मिलने वाले धनका इस्तेमाल यक्रेनके खिलाफ युद्धमें नहीं कर सके। जब फरवरी २०२२ में युद्ध छिड़ा और पश्चिमी देशोंने यूक्रेनके साथ एकजुटता दिखाते हुए रूसी तेल और गैसकी खरीद कम कर दी तो भारतने अपने पारम्परिक सहयोगी रूस द्वारा दी जा रही भारी छूटका लाभ उठाने का विकल्प चुना। इस कदमकी ट्रम्पने कड़ी आलोचना की और अगस्त २०२५ में भारतीय आयातपर २५ फीसदीका अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया, जिसे इस वर्ष फरवरीमें एक अंतरिम व्यापार ढांचेके बाद हटा लिया गया। पश्चिमी देशोंके प्रतिबंधोंके परिणामस्वरूप तेजीसे बढ़ती वैश्विक तेल कीमतोंका मुकाबला करनेके प्रयासमें, भारतका रूसी तेल आयात कच्चे तेल आयातके लगभग दो फीसदीसे बढ़कर लगभग आधा हिस्सातक हो गया। अमेरिकाकी कड़ी आलोचनाओंके बावजूद, राष्ट्रीय हितसे प्रेरित इस दृष्टिकोणकी वैधता इस तथ्यसे रेखांकित होती है कि युद्धके बावजूद अमेरिकाने रूससे यूरेनियमका आयात जारी रखा। नवंबरमें होने वाले मध्यावधि चुनावोंसे पहले चुनावी माहौलको ध्यानमें रखते हुए और ३० दिनकी समय-सीमा समाप्त होनेसे ठीक एक दिन पहले अमेरिकाने नयी छूटपर हस्ताक्षर किये। इस घटनाक्रमने भारतके रूसी तेल आयातपर अमेरिकी आपत्तियोंकी तार्किक वैधताको और भी कमजोर कर दिया है। ईरानपर अमेरिका-इसरायलके हमलोंके बाद होर्मुज स्ट्रेटकी नाकाबंदीने तेल उत्पादोंकी कीमतोंपर दबाव डाला है और अन्य लोगोंकी तरह अमेरिकी जनता भी इसकी मार झेल रही है। डीजलकी कीमतोंमें एक सालमें ६६ से ६८ फीसदीकी वृद्धि हुई है, जिससे सभी बाजारोंमें कीमतें बढ़ गयी हैं। लिंडसे ग्राहम अधिनियमकी धारा ११५ के तहत दी गयी इस छूटका आधार ९ अक्तूबरको तैयार हुआ, जब अमेरिकी वित्त मंत्रालयने ७ अप्रैल, २०२७ तक वैश्विक बाजारमें रूसी डीजलकी बिक्री और आयातकी अनुमति देने वाला एक अस्थायी लाइसेंस जारी किया। रूसके साथ हुए समझौतेके तहत अमेरिकाको तुरन्त ३,००,००० टन डीजल मिलेगा, इसके बाद नवंबरमें ५,००,००० टन और उसके बाद दस लाख टन मिलेगा। रूस भी अपनी रिफाइनरियोंकी स्थितिके आधारपर ३० लाख टन डीजल जारी करेगा (जिनमेंसे कुछपर हालमें यूक्रेनने हमला किया था)। उल्लेखनीय भू-रणनीतिक बदलाव यूक्रेनके राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्कीके साथ ट्रम्पके तनावसे भी प्रेरित है, जिन्होंने अमेरिकी प्रशासनपर सैन्य समर्थन और खुफिया जानकारी साझा करनेमें कटौती करनेका आरोप लगाया है। पैट्रियट मिसाइलोंकी आपूर्तिमें देरी और स्टारलिंक उपग्रह सेवाओंकी बिगड़ती स्थिति, जिसने ड्रोनके प्रदर्शन और युद्धक्षेत्र संचारको प्रभावित किया है। विडंबना है कि ट्रम्प राष्ट्रीय हितका तर्क दे रहे हैं, जिसे उन्होंने एक साल पहले भारतके मामलेमें पूरी तरहसे खारिज कर दिया था। **-आर.के. सिंह, वाया ईमेल।**

नागरिकोंकी निजता कैसे रहे सुरक्षित

डिजिटल क्रांतिने अनेक चुनौतियां खड़ी की हैं। आज बैंकमें खाता खुलवानेसे लेकर बिलोंका भुगतान जैसे अनेक कार्य घर बैठे किये जा सकते हैं। लेकिन भारतीय स्टेट बैंकके ग्राहकोंसे संबंधित जानकारीके डार्क वेबपर उजागर होनेकी हालिया घटनाने सवाल खड़ा कर दिया है कि वित्तीय व्यवस्थामें सुरक्षा कैसे देगी सरकार।

❐ महेन्द्र तिवारी

इक्कीस अक्तूबर २०२६ को प्रकाशित समाचारोंके अनुसार भारतीय स्टेट बैंकने ग्राहकोंसे संबंधित जानकारीके संभावित खुलासेकी पुष्टि करते हुए जांच शुरू करनेकी जानकारी दी। बैंकको १६ अक्तूबरको अपने खतरा निगरानी सेवा प्रदाता, रक्षा साइबर एजेंसी और भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दलसे इस संबंधमें सूचनाएं मिली थीं। प्रारंभिक जांचमें डार्क वेबपर उपलब्ध लगभग ३,७५,००० अभिलेखोंकी समीक्षा की गयी, जिनमें ३८९७ ग्राहक अभिलेखोंमें व्यक्तिगत पहचानसे संबंधित जानकारी पायी गयी। बैंकने इस मामलेकी व्यापक जांचके लिए एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा संस्थाको नियुक्त किया है। हालांकि जानकारी किस माध्यमसे बाहर पहुंची और घटनाका वास्तविक दायरा कितना है, यह जांच पूरी होनेके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। प्रारंभिक रिपोर्टोंके अनुसार उजागर हुई जानकारीमें ग्राहकोंके नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल पते, आवासीय पते, शाखा संबंधी विवरण, ग्राहक पहचान संख्या तथा ऋण आवेदनोंसे जुड़ी कुछ जानकारियां शामिल हैं। इन विवरणोंका महत्व इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि आज व्यक्तिगत पहचान और वित्तीय गतिविधियोंके बीच गहरा संबंध बन चुका है। किसी व्यक्तिका नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और ऋण संबंधी जानकारी एक साथ उपलब्ध होनेपर अपराधियोंके लिए उसके विश्वासका दुरुपयोग करना आसान हो सकता है। वे बैंक अधिकारी बनकर फोन कर सकते हैं, ऋण या खातेसे संबंधित वास्तविक विवरणोंका उल्लेख कर सकते हैं और फिर गोपनीय जानकारी हासिल करनेका प्रयास कर सकते हैं।

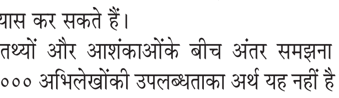

भारतीय स्टेट बैंकसे संबंधित यह घटना डिजिटल अर्थव्यवस्थाके सामने उपस्थित एक बुनियादी प्रश्नको रेखांकित करती है। व्यक्तिगत जानकारीकी सुरक्षा सुनिश्चित करनेकी प्राथमिक जिम्मेदारी उन संस्थानोंकी है, जिन्हें नागरिक अपना विश्वास सौंपते हैं। डिजिटल बैंकिंगका भविष्य तभी सुरक्षित और विश्वसनीय हो सकता है, जब सुविधाके साथ गोपनीयता, जवाबदेही और तकनीकी प्रगतिके साथ मानवीय सुरक्षाको भी समान महत्व दिया जाय। ग्राहकोंका विश्वास किसी बैंककी सबसे बड़ी पूंजी है। उसकी रक्षा करना केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व भी है।

इस घटनाके संबंधमें तथ्यों और आशंकाओंके बीच अंतर समझना भी आवश्यक है। लगभग ३,७५,००० अभिलेखोंकी उपलब्धताका अर्थ यह नहीं है कि उन सभीमें ग्राहकोंकी संवेदनशील जानकारी थी। प्रारंभिक जांचमें ३८९७ ग्राहक अभिलेखोंमें व्यक्तिगत पहचान संबंधी विवरण मिलनेकी बात कही गयी है। इसी प्रकार, व्यक्तिगत जानकारीका उजागर होना अपने आपमें यह प्रमाण नहीं है कि ग्राहकोंके बैंक खातोंसे धन चोरी हुआ है। बैंकने कहा है कि उसकी मुख्य बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय प्रदर्शन और कामकाज की निरंतरता पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर भी, वित्तीय नुकसानकी तत्काल पुष्टि न होना व्यक्तिगत गोपनीयतासे जुड़े खतरेको कम नहीं करता। भारतमें डिजिटल बैंकिंगका विस्तार तेजीसे हुआ है। गांवोंसे लेकर महानगरोंतक लोग मोबाइलके माध्यमसे धनका लेन-देन कर रहे हैं। सरकारी योजनाओंकी सहायता राशि, पेंशन, वेतन और अन्य भुगतान भी बैंक खातोंमें पहुंचते हैं। ऐसेमें बैंक केवल धन जमा करने और निकालने वाली संस्था नहीं रह गये हैं, बल्कि नागरिकोंकी आर्थिक पहचानके संरक्षक भी बन गये हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल लेन-देनको सुरक्षित रखनेतक सीमित नहीं है। ग्राहकोंके व्यक्तिगत विवरणोंको अनधिकृत पहुंच, चोरी और दुरुपयोगसे बचाना भी उतना ही आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े सार्वजनिक बैंकसे जुड़ी घटनाका व्यापक प्रभाव इसलिए भी है कि बैंकिंग व्यवस्थामें जनताका विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। करोड़ों लोग अपनी जीवनभरकी बचत, पेंशन और भविष्यकी आर्थिक सुरक्षाके लिए बैंकोंपर निर्भर रहते हैं। यदि ग्राहकोंको यह आशंका होने लगे कि उनकी निजी जानकारी सुरक्षित नहीं है तो डिजिटल सेवाओंके प्रति उनका विश्वास कमजोर पड़ सकता है। विशेष रूपसे बुजुर्गों, ग्रामीण नागरिकों और तकनीकी जानकारीसे सीमित परिचित लोगोंके लिए ऐसी घटनाएं अधिक परेशानी पैदा कर सकती हैं।

इस चुनौतीका सामना करनेके लिए बैंकोंको अपनी सुरक्षा व्यवस्थाकी नियमित समीक्षा करनी चाहिए। ग्राहकोंकी जानकारीतक पहुंच केवल उन्हीं कर्मचारियों और सेवाओंको मिलनी चाहिए, जिन्हें वास्तवमें इसकी आवश्यकता है। सुरक्षा संबंधी कमजोरियोंकी पहचानके लिए समय-समयपर स्वतंत्र परीक्षण, संदिग्ध गतिविधियोंकी निगरानी और आंकड़ोंके सुरक्षित भंडारणकी व्यवस्था आवश्यक है। बाहरी सेवा प्रदाताओं, ऋण एजेंटों और तकनीकी सहयोगियोंके माध्यमसे जानकारीके आदान-प्रदानपर भी समान रूपसे कड़ी निगरानी होनी चाहिए। कई बार सुरक्षामें चूक किसी बड़ी तकनीकी खामीके बजाय कमजोर पासवर्ड, अनधिकृत पहुंच या अनुचित अधिकार प्रदान किये जाने जैसी सामान्य गलतियोंसे भी हो सकती है।

बदलते तकनीकी परिवेशमें कृत्रिम बुद्धिमत्ताके दुरुपयोगसे जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं। अपराधी स्वचालित साधनोंकी सहायतासे बड़ी मात्रामें जानकारीका विश्लेषण कर सकते हैं और अलग-अलग व्यक्तियोंको निशाना बनानेके लिए अधिक विश्वसनीय संदेश तैयार कर सकते हैं। वे किसी ग्राहककी वास्तविक बैंकिंग जानकारीका उल्लेख करके उसे भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्थाको केवल पुराने प्रकारके हमलोंसे बचावतक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। नयी तकनीकोंसे उत्पन्न जोखिमोंकी पहचान और उनके अनुरूप सुरक्षा उपायोंका विकास भी आवश्यक है। बैंककी जिम्मेदारीके साथ ग्राहकोंकी सतर्कता भी महत्वपूर्ण है। लोगोंको यह समझना चाहिए कि बैंक कभी भी फोनपर उनसे गोपनीय पहचान संख्या, एक बार उपयोग होने वाला संकेतांक या बैंकिंग पासवर्ड साझा करनेके लिए नहीं कहता। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा खातेको बंद करने, ऋण रोकने या धन जब्त करनेकी धमकी देकर जानकारी मांगी जाय तो उसपर तुरन्त विश्वास नहीं करना चाहिए। संदिग्ध संदेशोंमें दिये गये संपर्क माध्यमोंका उपयोग करनेके बजाय बैंककी आधिकारिक शाखा या प्रमाणित ग्राहक सेवासे संपर्क करना अधिक सुरक्षित है। यदि किसी व्यक्तिके साथ वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो उसे तत्काल बैंकको सूचना देकर आवश्यक सुरक्षा कदम उठाने चाहिए और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन १९३० पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

इसके साथ ही प्रभावित ग्राहकोंको समयपर सूचना देनेकी व्यवस्था भी आवश्यक है। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि बैंकका सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं हुआ। ग्राहकोंको यह जाननेका अधिकार है कि उनकी कौन-सी जानकारी जोखिममें पड़ सकती है, उन्हें किन सावधानियोंकी आवश्यकता है और सहायता प्राप्त करनेके लिए किससे संपर्क करना चाहिए। जांच पूरी होनेके बाद घटनाके संभावित कारणों और सुधारात्मक कदमोंके बारेमें उचित जानकारी सार्वजनिक करना भी जवाबदेहीका हिस्सा होना चाहिए। गोपनीयताकी रक्षाके नामपर ऐसी सूचनाएं नहीं छिपायी जानी चाहिए, जिनसे ग्राहकोंको अपने हितोंकी रक्षा करनेमें सहायता मिल सकती है। डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़ा संरक्षण अधिनियम, २०२३ इस दिशामें एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हालांकि इस कानूनके सभी प्रावधान एक साथ लागू नहीं हुए हैं। इसलिए किसी विशेष घटनामें कौनसे दायित्व लागू होते हैं, इसका निर्धारण संबंधित प्रावधानोंकी प्रभावी तिथियों और लागू नियमोंके आधारपर किया जाना चाहिए। भविष्यमें प्रभावी व्यवस्थाके लिए यह जरूरी है कि सूचनाके दुरुपयोगसे प्रभावित व्यक्तियोंको शिकायत, सहायता और उचित समाधान प्राप्त करनेके स्पष्ट अवसर मिलें। अंततः भारतीय स्टेट बैंकसे संबंधित यह घटना डिजिटल अर्थव्यवस्थाके सामने उपस्थित एक बुनियादी प्रश्नको रेखांकित करती है। क्या तकनीकी सुविधाके साथ नागरिकोंकी निजता और आर्थिक सुरक्षा भी उसी गतिसे मजबूत हो रही है। इसका उत्तर केवल नये सुरक्षा उपकरणोंमें नहीं, बल्कि पारदर्शिता, नियमित निगरानी, जिम्मेदार प्रशासन और समयपर कारवाईमें छिपा है। बैंक, नियामक संस्थाएं और ग्राहक, तीनोंकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत जानकारीकी सुरक्षा सुनिश्चित करनेकी प्राथमिक जिम्मेदारी उन संस्थानोंकी है, जिन्हें नागरिक अपना विश्वास सौंपते हैं। डिजिटल बैंकिंगका भविष्य तभी सुरक्षित और विश्वसनीय हो सकता है, जब सुविधाके साथ गोपनीयता, विकासके साथ जवाबदेही और तकनीकी प्रगतिके साथ मानवीय सुरक्षाको भी समान महत्व दिया जाय। ग्राहकोंका विश्वास किसी बैंककी सबसे बड़ी पूंजी है। उसकी रक्षा करना केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व भी है।

संयुक्त राष्ट्रकी अधूरी शांति प्रतिज्ञा

विश्वके ५० देशोंने वर्ष १९४५ में मिलकर संयुक्त राष्ट्र अधिकार-पत्रपर हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्रसंघका गठन किया था, जिसके बादसे प्रतिवर्ष २४ अक्तूबरको संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।

❐ योगेश गोयल

द्वितीय विश्वयुद्धके दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाको अधिक समतापूर्ण और न्यायोचित बनानेके लिए एक नये संघटनकी स्थापनाका विचार उभरा था, जो पांच राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा आठ यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा १२ जून १९४१ को लंदनमें हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणामें पहली बार सार्वजनिक रूपसे अभिव्यक्त हुआ था। उस उद्घोषणाके अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्वके निर्माण हेतु कार्य करनेका आह्वान किया गया था, जिसमें लोग शांति और सुरक्षाके साथ भयमुक्त वातावरणमें रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोगके मार्गकी खोज कर सकें। उसके बाद १९४४ में सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेनके प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटनके डम्बर्टन ओक्स एस्टेटमें कई बैठकोंके आयोजनके बाद एक शांतिरक्षक वैश्विक संस्था बनानेकी रूपरेखा तैयार की गयी, जिसके आधारपर ५० देशोंके प्रतिनिधियोंके बीच १९४५ में बातचीत हुई और २६ जून १९४५ को सभी ५० देशों द्वारा चार्टरपर हस्ताक्षर किये जानेके बाद यह चार्टर २४ अक्तूबर १९४५ से प्रभावी हो गया। तभीसे प्रतिवर्ष २४ अक्तूबरको संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाने लगा।

अंतरराष्ट्रीय संघर्षोंमें हस्तक्षेप करनेके उद्देश्यसे स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघको इतनी शक्तियां प्रदान की गयी कि वह अपने सदस्य देशोंकी सेनाओंको विश्व शांतिके लिए कहीं भी तैनात कर सकता है। संयुक्त राष्ट्रकी स्थापनाके बादसे ही दुनियाके अनेक देश इसके साथ जुड़ते गये और ५० सदस्योंके साथ शुरू हुए इस वैश्विक संघके सदस्य देशोंकी संख्या अब १९३ हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्रकी संरचनामें सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश थे अमेरिका, फ्रांस, रूस तथा यूनाइटेड किंगडम, जिनकी द्वितीय विश्वयुद्धमें अहम भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्रसंघके मुख्य उद्देश्योंमें युद्ध रोकना, मानवाधिकारोंकी रक्षा करना, सभी देशोंके बीच मित्रवत संबंध कायम करना, अंतरराष्ट्रीय कानूनोंको निभानेकी प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, निर्धन तथा भूखे लोगोंकी सहायता करना, उनका जीवन स्तर सुधारना, बीमारियोंसे लड़ना इत्यादि शामिल हैं और इन उद्देश्योंको निभानेके लिए १९४८ में मानवाधिकारोंकी सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गयी। हालांकि विडम्बना है कि संयुक्त राष्ट्रकी स्थापनाके इन ८१ वर्षोंमें यह वैश्विक संस्था अब धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खोने लगी है। दरअसल बीते ८१ वर्षोंसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, हथियार, मीडिया, समाज, मुद्रा तथा समाजसे संबंधित तमाम नीतियां इसके पांच स्थायी सदस्य देशों ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस तथा फ्रांसके राष्ट्रीय हितोंके अनुरूप ही निर्धारित की जाती रही हैं, जिस कारण ऐसी नीतियोंका खामियाजा भारतके अलावा जापान, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इसरायल, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई अन्य देशोंको भुगतना पड़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभाकी स्थायी सदस्यताके लिए तमाम मानदंडोंको पूरा करनेके बाद भी दशकोंसे सुरक्षा परिषदके स्थायी सदस्य बननेके लिए प्रयासरत हैं। संयुक्त राष्ट्रकी स्थापनाके आठ दशकोंमें विश्वके सामरिक और आर्थिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं लेकिन इतना लम्बा समय बीत जाने और तमाम वैश्विक समीकरण पूर्ण रूपसे बदल जानेके बावजूद वीटो अधिकार वाले पांचों स्थायी सदस्योंमेंसे कोई भी अपने वीटो अधिकार और स्थायी सीटको छोड़नेको तैयार नहीं है। हालांकि स्थायी सदस्योंकी संख्या बढ़ानेपर संयुक्त राष्ट्रमें आम सहमति है लेकिन चीनको खासकर एशियासे वीटो अधिकार वाले सदस्योंकी संख्या बढ़ाना किसी भी कीमतपर स्वीकार नहीं है, जहां स्थायी सदस्यताके दोनों दावेदारों (भारत और जापान) पर वह विभिन्न कारणोंसे संदेह करता है। भारतने जिस चीनको मान्यता देनेमें पहल की थी और सुरक्षा परिषदमें उसकी स्थायी सीटको सिद्धांतके तौरपर लेनेसे मना कर दिया था, आज वही चीन भारतकी स्थायी सदस्यताके मार्गमें रोड़े अटका रहा है। भारत चीनके वीटो पावरके कारण ही सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किये जाने वाले प्रस्ताव बाध्यकारी प्रकृतिके नहीं होते। आश्चर्यकी बात है कि महासभामें १९३ सदस्य देशों द्वारा पारित किये जाने वाले प्रस्ताव भी सुरक्षा परिषदके पांच स्थायी सदस्योंकी सहमतिपर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए अनेक देशों द्वारा इसमें सुधार किये जानेकी मांग बीते कई वर्षोंसे निरन्तर की जा रही है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदकी स्थायी सदस्यताके लिए भारतकी दावेदारीकी वकालत करते हुए कह चुके हैं कि नयी ताकतोंको केन्द्रीय भूमिकामें लाये बिना दुनियाकी यह सबसे बड़ी पंचायत स्वयंसे की जाने वाली अपेक्षाओंपर खरी नहीं उतर पायगी। दुनियाके कई देश बार-बार कहते रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्रका ढांचा अब पुराना पड़ चुका है और इसकी स्थापनाके समय जो परिस्थितियां थी, वे अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए यदि यह वैश्विक संस्था अपने भीतर समयानुकूल सुधार नहीं लाती है तो कालान्तरमें यह महत्वहीन होती चली जायगी। रूस-यूक्रेन युद्ध हो या इसरायल-फिलस्तीन अथवा अमेरिका-ईरान युद्ध, इन संघर्षोंमें दोनों ही पक्षोंके हजारों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, हजारों परिवार उजड़ चुके हैं, लाखोंकी आबादी पलायनकी त्रासदीसे जूझ रही है, शहरके शहर मलबेमें तब्दील हो रहे हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इन संघर्षोंको रोकनेके लिए कुछ नहीं कर सका है। इसीलिए दुनियामें जगह-जगह युद्ध टालनेके लिए संयुक्त राष्ट्रकी ओरसे ठोस योजनाओंपर अमल किये जानेकी जरूरत महसूस होती रही है, क्योंकि इस वैश्विक संस्थाका गठन ही दुनियामें अमन-चैन कायम रखनेके उद्देश्यके साथ किया गया था लेकिन चिन्ताकी बात है कि इन युद्धोंमें उसकी निष्क्रियता समूची मानव सभ्यतापर भारी पड़ रही है। भीषण होते इन युद्धोंके कारण दुनिया अब दो धड़ोंमें बंटती जा रही है और संयुक्त राष्ट्रके अधिकांश सदस्य देश भी अब केवल बयान जारी करनेसे आगे नहीं बढ़ रहे। फिलहाल यदि अब भी संयुक्त राष्ट्रके पुनर्गठनकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो यह संस्था आने वाले समयमें अपना महत्व खो देगी। सही मायनोंमें दुनियाकी इस सबसे बड़ी पंचायतको अब गम्भीर आत्ममंथनकी जरूरतके साथ पर्याप्त सुधारोंकी सख्त दरकार है।

आत्मबोध

जीवनके पहलू

❐ जग्गी वासुदेव

जीवनके बहुतसे पहलू हैं। उसमें जन्म है, बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा भी। उसमें प्रेम, कोमलता, मिठास और कड़वाहट भी है। सफलताकी खुशी है, कुछ पानेका संतोष है, दर्द भी है और आनन्द भी। यदि आपने अपने मनको बोधके एक ठीक स्तरपर रखा है तो ये सब बातें आपकी समझमें आ सकती हैं। परन्तु जीवनको समझाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मृत्यु, वह किसी भी मनकी पकड़के बाहर है चाहे आप अपने आपको कितना ही बुद्धिमान, होशियार या बड़ा बुद्धिजीवी मानते हों। क्योंकि हम मरणशील हैं, मरने वाले हैं, इसीलिए जीवन उस तरहसे चल रहा है जैसे वह चल रहा है। यदि हम मरने वाले नहीं होते तो न कोई बचपन होता, न जवानी और न बुढ़ापा। तब हम ये सवाल भी न उठा पाते कि जन्म क्या होता है। मृत्यु जीवनका आधार है। यदि आप मृत्युको नहीं समझते तो अभी जीवनको नहीं जान सकेंगे, न ही उसे संभाल पायंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सांस लेने और छोड़नेकी तरह हैं। वे बिना अलग हुए साथ-साथ रहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप मृत्युका सामना करते हैं या तो खुदकी या फिर किसी ऐसे व्यक्तिकी जो आपको प्रिय है और जिसके बिना जीनेकी बात आप नहीं सोच सकते। जब मृत्यु आ रही हो या हो गयी हो, तब ही अधिकतर लोगोंके मनमें ये सवाल आता है, ये सब क्या है और इसके बाद क्या होगा। जबतक केवल जीवन ही सत्य लगता है तबतक आपको यह विश्वास नहीं होता कि ये बस ऐसे ही खत्म होने वाला है। जब मृत्यु पास आ जाती है, तभी मन ये सोचना शुरू करता है कि कुछ और भी है, जो इससे ज्यादा है। परन्तु मन चाहे कितना भी सोच ले, ये वास्तवमें जानता कुछ नहीं है क्योंकि मन सिर्फ उसी डेटाके आधारपर काम करता है जो वह पहलेसे इकट्ठा कर चुका है। मनका मृत्युके साथ कोई वास्ता नहीं पड़ा है तो वह मृत्युके बारेमें नहीं जानता, क्योंकि इसके पास उसके बारेमें कोई आधारभूत जानकारी नहीं है, सिर्फ कुछ गप्पबाजी है। आपने ऐसी गप्पें सुनी होंगी कि कैसे जब आप मर जायंगे तो आप जाकर भगवानकी गोदमें बैठेंगे। यदि ऐसा है तो आपको आज ही मर जाना चाहिए। यदि आपको ऐसा विशेष अधिकार मिलने वाला हो तो पता नहीं आप इसे टाल क्यों रहे हैं। आपने स्वर्ग और नरकके बारेमें भी गप्पें सुनी होंगी। देवदूतों और बाकी चीजोंके बारेमें भी गपशप सुनी हैं, परन्तु कोई पक्की जानकारी नहीं है। ये सोचनेमें समय बर्बाद मत कीजिए कि मृत्युके बाद क्या होता है, क्योंकि वह आपके मनकी सीमाके बाहरकी बात है। जाननेका एक ही तरीका है और वह प्रज्ञाकी मददसे है, जैसा हम इसे भारतीय भाषाओंमें कहते हैं यानी कि जागरूकता।

आर्थिक मोर्चेपर विकासके सकारात्मक संकेत

❐ डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

विपरीत वैश्विक परिस्थितियोंके बावजूद दुनियाभरकी रेटिंग संस्थाओंने भारतीय अर्थव्यवस्थाको गतिमान स्वीकार करते हुए वैश्विक औसतसे लगभग दो गुणी विकास दर रहनेकी संभावना जतायी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैश्विक परिस्थितियोंमें कहीं और किसी तरहका सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान-अमेरिका युद्ध हो या रशिया-यूक्रेन युद्ध हो या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पके तानाशाही पूर्ण तुगलकी निर्णय हो या कच्चे तेलके भावोंमें बेतहासा वृद्धि और हार्मुजका संकट हालात समूचे विश्वमें विकटसे विकटतर बने हुए हैं। अब तो फ्रांसके हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं तो उसका असर जहां योरोपमें दिखाई देगा वहीं भारतमें भी हालातको प्रभावित करनेके कतिपय प्रयास जारी है। अच्छी बात यह है कि देश-दुनियाके गम्भीर हालातोंके बावजूद आर्थिक क्षेत्रकी दुनियाकी लगभग सभी रेटिंग संस्थाओंने इंडियन इकोनोमीकी ग्रोथ रेटको लेकर आशासे भी अधिक विश्वास जताया है। रेटिंग संस्थाओंकी ही माने तो २०२६ की वैश्विक औसत आर्थिक विकास दर तीन दशमलव एक फीसदी रहनेकी संभावना व्यक्त की जा रही है वहीं दुनियाकी रेटिंग संस्थाओंने भारतके आर्थिक परिणामोंको देखते हुए जुलाईकी तुलनामें अक्तूबर आते आते ग्रोथको छह दशमलव नौसे लेकर सात दशमलव एक रहनेकी उम्मीद जतायी है। खास बात यह है कि विश्व रेटिंग संस्थाओंमेंसे किसी भी संस्थाने जुलाईकी रेटिंगकी तुलनामें नकारात्मक ग्रोथ नहीं दिखाकर ग्रोथ रेटमें इजाफा ही जाहिर किया है।

दरअसल देशमें मांग और आपूर्तिसे लेकर निर्याततकमें लगातार विकास देखा जा रहा है। देशमें मांग और आपूर्तिकी बेहतर हालात है तो निर्यातमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह भी तब जब वैश्विक मांग कमजोर देखी जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्थाके लिए सबसे सकारात्मक बात यह है कि एमएसएमई सेक्टरमें लगातार अच्छा काम हो रहा है तो दूसरी और सर्विस सेक्टरमें तो एक तरहसे लगातार उछाल ही आ रहा है। कच्चे तेलके भावोंमें तो जैसे आग ही लग रही है और उपलब्धताको लेकर भी लाख झंझटके बावजूद हकोनोमीको बूस्टअप रखनेमें खास बाधा नहीं आ रही है। देशमें देशी-विदेशी निवेशमें लगातार वृद्धि हो रही है। महंगीके बावजूद बाजारमें मांग बरकरार है। बाजारमें मांगसे यह साफ है कि लोगोंकी क्रय शक्ति बनी हुई है। सर्विस सेक्टरमें टूरिज्म, बैंकिंग, आईटीए और इसी तरहके अन्य क्षेत्र उल्लेखनीय परिणाम दे रहे हैं। नवंबरमें दीपावलीके त्यौहारके चलते बाजार और अधिक गतिशील हो जायगा, क्योंकि दीपावलीपर बाजारमें तेजी आती ही आती है। जानकारोंकी माने तो नवंबर माहमें दीपावलीपर सात लाख करोड़का कारोबार अनुमानित किया जा रहा है। यह पिछली दीपावलीकी तुलनामें १५ प्रतिशतसे १८ प्रतिशततक अधिक रहनेकी संभावना है। इसी तरहसे सेवा क्षेत्रमें भी अच्छी ग्रोथ जारी रहनेका अनुमान है। इसके अलावा विपरीत हालातोंके बावजूद निर्यातमें लगातार वृद्धि जारी है। देशकी इकोनोमिक ग्रोथके कारण देशी-विदेशी निवेशके बेहतर हालात दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि चाहे आईएमएफ हो या मूडीज, ओईसीडी हो या वर्ल्ड बैंक, एशियन डब्लपमेंट बैंक हो या एसएण्डपी या फिच सभीने भारतकी इकोनोमीकी ग्रोथको लेकर सकारात्मक संकेत दिये हैं। भारतका आरबीआईका आंकलन तो पहलेसे ही सबके सामने हैं। एकमात्र फिच रेटिंग संस्था ऐसी है जिसने इंडियन इकोनोमीकी ग्रोथ रेट ६.९ प्रतिशत आंकी है जो कि हालांकि पूर्वकी फिचकी ही पूर्वकी रेटिंग ६.५ प्रतिशतसे ही अधिक है। मूडीज सहित कुछ रेटिंग संस्थाओंने जहां अब सात प्रतिशत विकास दर आंक रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी आदि संस्थाओंको भरोसा है कि भारतकी आर्थिक विकास दर सात प्रतिशतसे अधिक यानी कि ७.१ प्रतिशत रहनेकी सम्भावना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पके नित नये निर्णयोंसे दुनियाकी अर्थव्यवस्थापर पड़ रहे असर, युद्ध और तनावके हालातोंमें सुधार नहीं होने, हार्मुज जैसी समस्याका समाधान नहीं होने, वैश्विक राजनीतिक अस्थिरताके दौरके बावजूद एक ही सधी हुई नीतिका ही परिणाम है कि देशकी अर्थव्यवस्था विकासकी गतिको न केवल बनाये हुए हैं अपितु उसकी विकासका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए समग्र और समन्वित प्रयासोंको श्रेय जाता है। जहां घरेलू मांगमें कमी नहीं आयी है वहीं निवेशका बेहतर माहौल बना हुआ है। एमएसएमईको उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजनाका लाभ सीधे इकोनोमीका मिल रहा है वहीं रणनीतिक क्षेत्रों सेमी कण्डक्टर, डिफेंस, इलेक्ट्रोनिक्स, आईटी आदि क्षेत्रोंमें योजनाबद्ध तरीकेसे आगे बढ़ा जा रहा है। यही कारण है कि आज इंडियन इकोनोमी और उसकी ग्रोथपर वैश्विक रेटिंग संस्थाएं अपना विश्वास व्यक्त कर रही है।